

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
गाजियाबाद ।

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
हरि सिंह हा0सै0स्कूल,
खोडा कालोनी- गाजियाबाद ।

पत्रांक/परीक्षा/ 7359-63 /2013-14

दिनांक 29.7.2013

विषय:- कक्षा-9 व 10 में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण कार्य की अनुमति के सम्बन्ध में ।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 23-5-2012 के साथ संलग्न प्रबन्धकीय प्रस्ताव दिनांक 08-05-2012 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या/1028/15-7-1(75)/ 2010 दिनांक 9 जून 2010 तथा संख्या 1271/15-7-10-01 (199)/2009 दिनांक 9 जून 2010 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आपके विद्यालय को कक्षा 9-10 में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण कार्य कराने की अनुमति निम्न प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है ।

- 1- उपरोक्त कक्षाएँ माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद से पूर्व में प्रदत्त हाईस्कूल/इन्टरमीडिएट की मान्यता का अंग मानी जायेगी ।
- 2- कक्षा-9 व 10 में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण कार्य कराने पर शिक्षकों/फर्नीचर/कक्षों की अतिरिक्त व्यवस्था पर होने वाले व्ययभार को प्रबन्धतंत्र द्वारा निजी स्रोतों से वहन किया जायेगा । इस हेतु किसी प्रकार का अनुदान शासन/विभाग द्वारा देय नहीं होगा ।
- 3- प्राइमरी कक्षाएँ उक्त विद्यालय का अंग नहीं होगी ।
- 4- विद्यालय प्रधानाचार्य/प्रबन्धक द्वारा उपलब्ध पत्राजात में यदि कोई तथ्य छिपाया गया तो उसके उजगार होने पर प्रदत्त अनुमति स्वतः समाप्त समझी जायेगी ।

उक्त के सम्बन्ध में भविष्य में यदि उपरोक्त के अतिरिक्त कोई शासनादेश/विभागीय आदेश/निर्देश निर्गत होता है तो वह मान्य होगा ।

जिला विद्यालय निरीक्षक,
गाजियाबाद

पृ0सं0परीक्षा/

/2013-14

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
- 2- संयुक्त शिक्षा निदेशक (मा0) प्रथम मण्डल मेरठ ।
- 3- क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ ।
- 4- उप शिक्षा निदेशक (मा0) प्रथम मण्डल मेरठ ।

जिला विद्यालय निरीक्षक,
गाजियाबाद ।

Principal
Senior Secondary School
Pratap Vihar Khora Colony
Ghaziabad

Manager
Hari Singh Senior Secondary School
Pratap Vihar Khora Colony,
Ghaziabad